

10  
12/12

प्ररूप 26  
(नियम 4क देखिए)

35- हारिडार ग्रामीण (निर्वाचन क्षेत्र रो)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्षता किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, इरहान मली पुत्र/पुत्री/पत्नी बाबू हुड्डी  
आयु 49 वर्ष, जो मुमला छोड़ने के लिए शाहदस्ती की  
का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता  
हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मागले में दो वर्ष या अधिक के कर्तवास से दण्डनीय किरणी  
अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय  
द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। **लागू नहीं**

(यदि अभिराजी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित  
को प्रस्तुत करेगा/करेगी):— **लागू नहीं**

मला/प्रथम मुद्रना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

जिला (जिले) जागूर राज्य उत्तराखण्ड

संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का  
पता विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....

**लागू नहीं**

(IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....

**लागू नहीं**

(V) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गये थे.....

(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी  
गई है/हैं..... **लागू नहीं**

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की  
धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने  
वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

YOGNAAD

१०/१११

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

लगूनदी

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

लगूनदी

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....लगूनदी,

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....लगूनदी

(iii) पुलिस थाना (थाने).....लगूनदी जिला (ज़िले).....  
राज्य.....लगूनदी

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....लगूनदी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....लगूनदी

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....लगूनदी

स्थान रोकानाबाद, छत्तीसगढ़

तारीख १०.१.२०१२

JASNAOAE

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, प्रफुल्ल सिंह अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/घोषी हूं कि इस शपथ-पत्र की अतिरिक्त मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भगवान सिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रोकानाबाद, छत्तीसगढ़ स्थान पर आज तारीख १०.१.२०१२ को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

JASNAOAE

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

**ATTTESTED**

रोकानाबाद, छत्तीसगढ़

P. K. SINGHAL  
NOTARY ADVOCATE  
M.O. HABIBWALA (U.P.)

Prakash Singh  
Advocate



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



10  
10/10/12

13AA 252199

हारदार

J. S. N. A. Al

पंचमी 30/10/2012

पंचमी 30/10/2012